"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2012—आश्विन 9, शक 1934

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-7/2012/16.—छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध नियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों को लागू नहीं होंगे, तथापि उक्त लोप श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर या इसके पूर्व लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे मामलों को इस प्रकार निपटाया जाएगा या अग्रसर किया जाएगा जैसे कि मदों का लोप नहीं किया गया हो, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	उद्योगों के नाम (2)
1.	कपड़ा जिसमें सम्मिलित है कपास, सिल्क, कृत्रिम सिल्क, स्टेपल फाइबर, जूट तथा कारपेट.
2.	लोहा एवं इस्पात.
3.	विद्युत सामग्री.

(1)	(2)
4.	शक्कर एवं इसके उप उत्पाद जिसमें :— (i) शक्कर उत्पाद के साथ संलग्न कृषि भूमि जिसमें गन्ना पैदा किया जाता है, एवं (ii) समस्त कृषि एवं औद्योगिक कार्य जो इस उत्पाद के लिए गन्ने की पैदावार से संबंधित हों, सम्मिलित है.
5.	सीमेंट.
6.	विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण.
7.	लोक वाहन यातायात.
8.	इंजीनियरिंग जिसमें मोटरयान का विनिर्माण सम्मिलित है.
9.	स्टार्च.
10.	पाटरिज जिसमें सम्मिलित है रिफ्रेक्टरी गुड्स, फायर ब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, स्टोनवेअर, पाईप्स, फर्नेस लाइनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सेरेमिक गुड्स.
11.	रसायन तथा रसायन उत्पाद उद्योग.
12.	एल्युमिनियम.
13.	चमड़ा तथा टेनरीज जिसमें चमड़ा उत्पाद सम्मिलित है.
14.	कागज एवं स्ट्राबोर्ड.
15.	फरमनटेशन उद्योग :— (एक) एल्कोहल. (दो) फरमनटेशन उद्योग के अन्य उत्पाद.
16.	दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण तथा इसका वितरण.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F 11-7/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, directs that the provision of said Act shall not apply to the Industries specified in the Schedule below, however the said omission shall not affect the cases pending, on or prior to the date of issue of this notification before the Labour Court, Industrial Court or before any other Court of Law and such cases shall be disposed of or proceeded with as such items had not been omitted, namely :—

S. No. (1)	Name of Industries (2)
1.	Textiles, including cotton, silk, artificial silk, staple fibre, jute and carpet.
2.	Iron and Steel.
3.	Electrical goods.
4.	Sugar and its by products, including :— (i) the growing of sugarcane on farms belonging to or attached to concern engaged in the manufacture of sugar, and (ii) all agricultural and industrial operations connected with the growing of sugarcane or the said manufacture.
5.	Cement.
6.	Electricity generation, transmission and distribution.
7.	Public motor transport.
8.	Engineering including manufacture of Motor Vehicle.
9.	Starch.
10.	Potteries including refractory goods, fire bricks, sanitary wares, insulators, tiles, stone ware, pipes, furnace lining bricks and other ceramic goods.

(1)	(2)
11.	Chemical and chemical products industry.
12.	Alluminium.
13.	Leather and tanneries, including Leather Products.
14.	Paper and Straw Board.
15.	Fermentation Industries
	(i) Alcohol.
	(ii) Other Products of Fermentation Industries.
16.	Manufacture of Dairy Products and its distribution.

This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.